FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटिया : प्रकटीकरण अपेक्षाए (आई.जी.ए.एस-1)

GUARANTEES GIVEN BY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2016-17:-

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के		वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of	Additions during the year	সলাবা) Deletion during the year (Other than invoked	उन्मोचित	Invoked during the year अननुमोचित	Outstanding at the end of the year		Guarantee Commission or Fee
	year	the year		during the year)	Discharged	•		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)

क्षेत्र — (i) — विद्युत Sector - (i) - Power

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER 7000.00 7000.00 — — — 7000.00 70.00 70.00 (2) (2)

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:–

विद्युत मंत्रालय MINISTRY OF POWER	33604.22 (37)	31406.78 (36)	2197.44 (1)	2416.52 (2)	_	_	31187.70 (35)	364.25	364.25
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्राल MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY	य 7302.77 (11)	5019.71 (11)	2283.06	284.28	_	_	7018.49 (11)	60.29	60.29
कोयला मंत्रालय MINISTRY OF COAL	692.40 (3)	692.40 (3)	_	69.10	_	_	623.30 (3)	6.24	6.24

क्षेत्र - (ii) - सहकारी समिति

Sector - (ii) - Co-operative

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

कृषि मंत्रालय —
MINISTRY OF
AGRICULTURE—
कृषि और सहकारिता विभाग
Department of
Agriculture and Co-operation 4000.00 2500.00 1500.00 — — — 4000.00 — — —

क्षेत्र — (iii) — सिंचाई

Sector - (iii) - Irrigation

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

जल संसाधन मंत्रालय

MINISTRY OF WATER RESOURCES — — — — — — — — — 2.59

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटिया : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस—I)—जारी GUARANTEESGIVENBY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के अलावा)	5	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	Deletion during the year (Other than invoked	 उन्मोचित	Invoked during the year अननुमोचित	Outstanding at the end of the year		Guarantee Commission or Fee
	year	,		during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)

वर्ग — (iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभारों आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनसरण में दी गई गारंटियां:—

Class – (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:–

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE
आर्थिक कार्य विभाग
Department of Economic Affairs 112.10 112.10 — 4.98 — — 107.12 1.19 1.19

(1) (1) (1)

क्षेत्र — (iv) — सड़क और परिवहन

Sector - (iv) - Road and Transport

वर्ग—(ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:-

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions:-

रेल मंत्रालय

MINISTRY OF RAILWAYS 0.07 0.07 — 0.02 — — 0.05 — — — (1)

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

नागर विमानन मंत्रालय MINISTRY OF CIVIL AVIATION	40452.70 (31)	36300.30 (28)	4152.40 (3)	_	_	_	40452.70 (31)	1036.05	117.15
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS	703.66 (1)	670.80 (1)	32.86	48.15	_	_	655.51 (1)	1.76	1.76
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE									
आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	119.18 (1)	118.21 (1)	0.97	42.76	_	_	76.42 (1)	0.78	_

क्षेत्र — (v) — राज्य वित्तीय निगम Sector - (v) - State Financial Corporations

— शून्य / NIL —

क्षेत्र — (vi) — शहरी विकास और आवास Sector - (vi) - Urban Development and Housing

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class - (iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सरकार द्वारा दी गई गारटिया : प्रकटीकरण अपेक्षाए (आई.जी.ए.एस–I)–जारी GUARANTEESGIVENBY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के	õ	वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed	Outstanding at the beginning of	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other		Invoked during the year	Outstanding at the end of the year		Guarantee Commission or Fee
	during the	the year	,	than invoked	उन्मोचित	अननुमोचित	j		
	year			during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)
शहरी विकास मंत्रालय								(111)	rore or rupees)
MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT	797.13	539.75	257.38	7.19	_		789.94	6.52	6.52
आवास और शहरी गरीबी	(2)	(2)					(2)		
निवारण मंत्रालय MINISTRY OF HUPA	489.14 (2)	485.07 (2)	4.07	66.52	-		422.62 (2)	3.83	3.83
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग									
Department of Economic Affai	rs 609.86 (3)	609.86 (3)	_	406.07 (1)	_		203.79 (2)	2.50	2.50

क्षेत्र - (vii) - अन्य अवसरचना

Sector - (vii) - Other Infrastructure

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:-

वित्त मंत्रालय
MINISTRY OF FINANCE
आर्थिक कार्य विभाग

Department of Economic Affairs 962.68 931.56 31.12 209.85 — — 752.83 9.30 7.79
(10) (10) (3) (7)

क्षेत्र - (viii) - कोई अन्य

Sector - (viii) - Any Other

वर्ग—(i) भारतीय रिजर्व बैंक, अन्य बैंकों, औद्योगिक वित्तीय संस्थाओं, नामतः भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, भारतीय जीवन बीमा निगम, यूनिट ट्रस्ट आफ इंडिया आदि को मूलधन की पुनर्अदायगी और ब्याज की अदायगी, रोकड़ उधार संबंधी सुविधा, मौसमी कृषि संबंधी कार्यों का वित्तपोषण करने और कंपनियों, निगमों, सहकारी समितियों तथा सहकारी बैंकों के सम्बन्ध में कार्यचालन पूंजी प्रदान करने हेत् दी गई गारंटियां।

Class - (i) Guarantees given to the Reserve Bank of India, other banks, industrial financial institutions viz., Industrial Finance Corporation of India, Industrial Development Bank of India, Life Insurance Corporation of India, Unit Trust of India, etc., for repayment of principal and payment of interest, cash credit facility, financing seasonal agricultural operations and for providing working capital in respect of companies, corporations, co-operative societies and co-operative banks.

उद्योग मंत्रालय, भारी उद्योग विभाग MINISTRY OF INDUSTRY Department of Heavy Industries	253.00 (3)	253.00 (3)	_	_	_	_	253.00 (3)	15.97	2.53
कृषि मंत्रालय— MINISTRY OF AGRICULTURE— कृषि और सहकारिता विभाग Department of Agriculture and Co-operation	36.00 (1)	31.00 (1)	5.00	_	_	_	36.00 (1)	_	_

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT सरकार द्वारा दी गई गारंटिया : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस–I)–जारी GUARANTEESGIVENBYGOVERNMENT:DISCLOSUREREQUIREMENTS(IGAS-1)—Contd.

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम राशि	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान मांगी गई राशि के		वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	Maximum Amount Guaranteed	Outstanding at the beginning of	Additions during the year	अलावा) Deletion during the year (Other		Invoked during the year	Outstanding at the end of the year		Guarantee Commission or Fee
	during the year	the year		than invoked during the year)	उन्मोचित Discharged	अननुमोचित Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)
उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	C 54495.00 (2)	54495.00 (2)	_	_	_	- –	54495.00 (2)	_	_
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रात खादी और ग्रामोद्योग आयोग MINISTRY OF MICRO, SMALI AND MEDIUM ENTERPRISES, Khadi & Village Industries Commission (KVIC)	L	269.00 (1)	_	7.00	_		262.00 (1)	75.56	_
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग Department of Chemicals and Petrochemicals	2.55 (1)	2.55 (1)	_	2.55 (1)	_		_	_	_

-	4
h	

औषध निर्माण विभाग Department of Pharmaceuticals	1102.56 (9)	1067.19 (9)	35.37	_	_	_	1102.56 (9)	77.95	_
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE आर्थिक कार्य विभाग Department of Economic Affairs	17469.94 (17)	17252.92 (17)	217.02	713.32 (1)	_	_	16756.62 (16)	67.63	68.95
राजस्व विभाग Department of Revenue	800.00	_	800.00 (1)	_	_	_	800.00 (1)	8.00	_
वर्ष (ः) क्रेग्ल एंजी की एवर्शवासी =	ग्रायसा गाषिक ज	णांबा की असमारी) भारताचिक्रिक वि	नेगामें नुष्प निनीय सं	المحج تميح ثاديين	किया गाग / तम	ज्य किए गए गां <i>चें</i> 7	रक्ता विशेषको क	रे गर्ज्यानामी

वर्ग — (ii) शेयर पूंजी की पुनर्अदायगी, न्यूनतम वार्षिक लाभांश की अदायगी और सांविधिक निगमों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा जारी किए गए / वसूल किए गए बांडों / कर्जों, डिबेंचरों की पुनर्अदायगी के लिए दी गई गारंटियां:—

Class - (ii) Guarantees given for repayment of share capital, payment of minimum annual dividend and repayment of bonds/loans, debentures issued/raised by the statutory corporations and financial institutions: -

उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION	13074.52 (15)	13074.52 (15)	_	74.52 (13)	_	_	13000.00 (2)	_	_
रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय									
MINISTRY OF CHEMICALS									
ANDFERTILIZERS									
रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग									
Department of Chemicals and Petrochemicals	250.00	250.00					250.00	2.50	
and Petrochemicals			_	_	_		250.00	2.50	_
	(2)	(2)					(2)		
संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्राल									
MINISTRY OF COMMUNICAT									
AND INFORMATION TECHNO	LOGY								
दूरसंचार विभाग									
Department of	7513.97	7513.97		_	_		7513.97	75.59	105.39
Telecommunications	(4)	(4)					(4)		

FINANCE ACCOUNTS, UNION GOVERNMENT

सरकार द्वारा दी गई गारंटियां : प्रकटीकरण अपेक्षाएं (आई.जी.ए.एस–I)–*जारी*

GUARANTEESGIVENBY GOVERNMENT: DISCLOSURE REQUIREMENTS (IGAS-1)—Contd.

(क) संघ सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान दी गई गारंटियों के संबंध में सेक्टरवार प्रकटीकरण:—
(a) Sector-wise disclosures in respect of Guarantees given by the Union Government during the year 2016-17: -

मंत्रालय / विभाग का नाम	वर्ष के दौरान गारंटीकृत अधिकतम	वर्ष के आरंभ में बकाया	वर्ष के दौरान परिवर्धन	वर्ष के दौरान विलोपन (वर्ष के दौरान		वर्ष के दौरान मांगी गई राशि	वर्ष के अंत में बकाया		गारंटी कमीशन अथवा फीस
Name of Ministry/ Department	राशि Maximum Amount Guaranteed during the	Outstanding at the beginning of the year	Additions during the year	मांगी गई राशि के अलावा) Deletion during the year (Other than invoked	 उन्मोचित	Invoked during the year अननुमोचित	Outstanding at the end of the year		Guarantee Commission or Fee
	year	the year		during the year)	Discharged	Not Discharged		प्राप्य Receivable	प्राप्त की गई Received
1	2	3	4	5	6	7	8		10 (करोड़ रुपयों में) crore of rupees)

वर्ग—(iii) भारत सरकार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं, उधार देने वाले विदेशी अभिकरणों, विदेशी सरकारों, ठेकेदारों, परामर्शदाताओं आदि के साथ किए गए करारों के अनुसरण में मूलधन की पुनर्अदायगी, उनके द्वारा लिए गए कर्जों आदि पर ब्याज / वचनबद्धता प्रभार आदि की अदायगी के बारे में और कम्पनियों, निगमों / पत्तन न्यासों आदि के सम्बन्ध में क्रेडिट के आधार पर सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति संबंधी करारों के लिए की गई अदायगी के अनुसरण में दी गई गारंटियां:—

Class-(iii) Guarantees given in pursuance of agreements entered into by the Government of India with international financial institutions, foreign lending agencies, foreign Governments, contractors, consultants, etc., towards repayment of principal, payment of interest/commitment charges on loans, etc., by them, and payment against agreements for supplies of material and equipment on credit basis, to the companies, corporations/Port Trusts, etc:

इस्पात मंत्रालय MINISTRY OF STEEL	418.68 (2)	418.68 (2)	_	55.34	_	_	363.34 (2)	1.03	1.03
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES, राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड National Small Industries Corporation Limited	58.75 (3)	58.37 (3)	0.38	7.00	_	_	51.75 (3)	0.32	0.24

-	1
h	•

वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग MINISTRY OF FINANCE Department of Economic Affairs	152211.68 (163)	133866.20 (149)	18345.48 (14)	4098.64	_	_	148113.04 (163)	163.77	163.46
वाणिज्य विभाग Department of Commerce	1.73 (1)	1.73 (1)	_	0.90	_	_	0.83	0.05	_
विदेश मंत्रालय MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS	33270.51 (6)	28187.76 (5)	5082.75 (1)	3370.39	_	_	29900.12 (6)	_	_

वर्ग—(iv) विदेशी पूर्तिकर्ताओं को उनके द्वारा उधार के आधार पर की गई पूर्तियों / दी गई सेवाओं के लिए निम्नलिखित कंपनियों / निगमों द्वारा जारी किए गए प्राधिकार पत्रों के सम्बन्ध में बैंकों को दी गई प्रति—गारंटियां:—

Class - (iv) Counter-guarantees to banks in consideration of the banks having issued letters of authority to foreign suppliers for supplies/services made/rendered by them on credit basis, in favour of the companies/corporations:—

इस्पात मंत्रालय									
MINISTRY OF STEEL	518.36	518.36	_	518.36	_	_	_	_	_
	(8)	(8)		(8)					